

फद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

२००

मुकाम

बडीसादडी

सुरेशगिरी

बनाम

मेदगार

किस्म मुकदमा

५३ वाड

नं.

१६

सन २०१८

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
१२/६/१८	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार २०१८ के तहत कैम्प कोर्ट <u>बोर्ड</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>५३</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>मौजा जिन्नाखेडी की खाता संख्या १८५ का विभाजक कलवाप जाए</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>जिन्नाखेडी की खाता सं. १८५ की विभाजित का क्र. २१, २३, १५, १०१, १०१/१०१</u> का विभाजक जिन्नाखेडी में किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">P.T.O.</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	



WJ
 (जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
 RAS
 पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अदालत एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 बडीसादडी (राज.)